राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी)

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
भारत सरकार

नई दिल्ली, दिनांक 13.05.2025

विषय: अनुबंध के आधार पर हिंदी परामर्शदाता की तैनाती।

एनसीजीजी में, अनुबंध के आधार पर हिंदी परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

नियम एवं शर्तें: -

1.	पात्रता	• अधिकारी, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में राजभाषा (हिंदी) से संबंधित पद से सेवानिवृत्त होना चाहिए। • अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
2.	योग्यता	• किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी; अथवा • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी; अथवा • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी; अथवा • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम

		से स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी; अथवा • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी विषय को छोड़कर किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर डिग्री और हिन्दी तथा अंग्रेजी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो अथवा स्नातक स्तर पर इनमें से किसी एक को परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरी को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो;
3	परामर्शदाता की संख्या	**1 (एक)**
4	तैनाती की अवधि	तैनाती की अवधि प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए होगी।
5	ड्यूटी	• राजभाषा विभाग से प्राप्त आदेशों, दिशा-निर्देशों पर कार्रवाई करने में सहायता। • हिंदी पत्राचार, सरकारी पत्राचार में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के विभिन्न नियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन। • विभिन्न संगठनों के साथ पत्राचार में सहायता। • हिंदी कार्यशालाओं और हिंदी पखवाड़े के आयोजन में सहायता। • विभिन्न परिपत्रों, कार्यालय आदेशों, ज्ञापनों आदि का अनुवाद। • वार्षिक रिपोर्ट, प्रशासनिक रिपोर्ट, वेब सामग्री का अनुवाद। • विभिन्न राजभाषा निरीक्षणों अर्थात संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा विभाग और मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण से संबंधित कार्यों में सहायता।
6	आयु	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की आयु 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है।)

7	पारिश्रमिक	सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन से मूल पेंशन की कटौती करके एक निश्चित मासिक राशि स्वीकार्य होगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि, अनुबंध अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी और अनुबंध अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि / प्रतिशत वृद्धि / महंगाई भत्ता नहीं होगा। सार्वजनिक उपक्रमों /स्वायत्त निकायों से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को एक निश्चित पारिश्रमिक राशि दी जाएगी जो एनसीजीजी द्वारा तय की जाएगी।

अन्य शर्तें:

1. अधिकतम आयु सीमा की गणना, प्रोफ़ाइल अपलोड करने की तारीख अर्थात **13.05.2025** से की जाएगी ।
2. तैनाती शुरू में एक वर्ष तक की अवधि के लिए होगी जिसे परामर्शदाता के कार्य निष्पादन या कार्यालय की कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया/घटाया जा सकता है ।
3. चयन प्रक्रिया, प्राप्त आवेदनों पर आधारित होगी, जिन्हें अनुभव और योग्यता के आधार पर या साक्षात्कार के आधार पर चुना जाएगा ।
4. निवास और कार्य के स्थान के बीच आवागमन के उद्देश्य से परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि दी जाएगी, जो तैनाती पर रखे गए व्यक्ति की, सेवानिवृत्ति के समय उसके पद की हकदारी से अधिक नहीं होगी ।
5. परामर्शदाता की तैनाती, पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर होगी और तैनाती के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।
6. परामर्शदाता को सामान्य कार्यालय समय का पालन करना होगा तथा कार्य की अनिवार्यता के मामले में उसे शनिवार, रविवार या किसी अवकाश के दिन भी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा ।
7. समिति, योग्यता और अनुभव के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले आवेदकों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है ।
8. आयकर या कोई अन्य कर सरकारी निर्देशानुसार स्रोत पर ही काटा जाएगा ।
9. परामर्शदाता डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखेगा ।

10. इस कार्यालय द्वारा तैनाती पर रखा गया परामर्शदाता किसी भी मामले में किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी मामले में प्रतिनिधित्व या राय या सलाह नहीं देगा जो इस कार्यालय के हित के प्रतिकूल हो। परामर्श अवधि के दौरान किसी भी परामर्शदाता को कोई अन्य कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

11. यदि,कोई परामर्शदाता अपना कार्य छोड़ना चाहता है, तो उसे **एक महीने का नोटिस** देना होगा, जिसे कार्य के बोझ के आधार पर कम या बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई परामर्शदाता किसी भी कारण से अयोग्य पाया जाता है या यदि वह किसी अवज्ञा/कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसकी सेवाएँ बिना किसी नोटिस के तुरंत समाप्त की जा सकती हैं ।

12. यह कार्यालय परामर्शदाता द्वारा यात्रा सहित अपने कार्य निष्पादन के दौरान या उससे उत्पन्न किसी भी हानि, दुर्घटना, क्षति, चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

13. चयनित आवेदक को **मसूरी** कार्यालय में तैनात किया जाएगा ।

14. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर आवेदक को आने-जाने की यात्रा का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

15. तैनाती प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना/कारण बताए रद्द/स्थगित/समाप्त किया जा सकता है ।

16. अपेक्षित योग्यता और अनुभव वाले इच्छुक उम्मीदवार, अपना जीवनवृत (जन्म तिथि और समस्त कारी दस्तावेजों के साथ) ई मेल आईडी **recruitment-ncgg@gov.in** पर दिनांक **30/05/2025** तक भेज सकते है।